भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4088

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव

4088. श्री तापिर गाव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के बाढ़ से बचाव हेतु सरकार के पास कितनी योजनाएं लंबित हैं;

(ख) अरूणाचल प्रदेश और असम की राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु कितनी योजनाओं की सिफारिश की गई है;

(ग) अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट, तेजू और नामसाई के संरक्षण हेतु सरकार के पास कितनी योजनाएं लंबित हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदित/कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल्यांकनाधीन प्रमुख स्कीमों (25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत) का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि विगत 7 वर्षों (वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कटाव-रोधी और बाढ़ नियंत्रण के लिए एनईसी की स्कीमों के अंतर्गत 139.91 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 15 मार्च, 2017 को "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" नामक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 233.57 करोड़ रुपये है।

(ख): अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ सुरक्षा के लिए 41 स्कीमें हैं जिनकी सिफ़ारिश अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। असम सरकार ने सूचित किया है कि एफएमबीएपी सहित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कुल 649 परियोजनाओं की सिफ़ारिश की गई है।

(ग): अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पासीघाट की i) पासीघाट उप-मंडल के अंतर्गत 35.50 करोड़ रुपये राशि की सिबोकोरोंग नदी पर कटाव नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन वाली और ii) दंबुक उप-मंडल के अंतर्गत 144.64 करोड़ रुपये की राशि की दिबांग नदी बेसिन में कटाव-रोधी कार्य वाली दो स्कीमें, सरकार के पास लंबित हैं।

तेजू और नामसाई की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

(घ): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमों की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से राज्य के भीतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की दो बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को वर्ष 2024 में एफएमबीएपी के अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है।

*****

अनुलग्नक

"उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4088 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केंद्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन प्रमुख बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	टिप्पणियां
1	असम	बहरी से बाघबर तक आर/एस से बी/डाइक तक जिसमें बहरी और उसके आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी का तटीकरण और पहुंच के भीतर कटाव वाली भूमि का सुधार शामिल है (समीक्षा)	513.14 करोड़	सितंबर 2024 से परियोजना प्राधिकरण के पास अनुपालन के लिए लंबित है
2	नागालैंड	पटकाई-चौथे मील पुल, जिला चुमुकेदिमा, नागालैंड से चठे नदी पर कटावरोधी कार्य	236.14 करोड़	सितंबर 2024 के बाद से परियोजना प्राधिकरण के पास अनुपालन के लिए लंबित है

*****